


आवश्यक सूचना

मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के आदेश क्रमांक 6872-76 दिनांक 22-11-2018 के अनुसार राजस्थान सूचना आयोग के कोर्ट नम्बर 1 को कोर्ट नम्बर 4 का लिंक कोर्ट बनाया हुआ है।

निर्देशानुसार, उपरोक्त आदेशों की अनुपालना में कोर्ट नम्बर : 1 की अपीलों एवं परिवादों की सुनवाई दिनांक 22-04-2019 से कोर्ट नम्बर चार में की जाएगी।



निजी सचिव
कोर्ट नम्बर : 1